न्यायालय अनुमंडल दण्डा०, सिमडेगा

[स्थायी रूप से रक्षणीय]

[बोर्ड के आदेश नं० ४११६ बी० ता० १२-८-११ में अनुमोदित]

संयुक्त मुख्य-पृष्ठ और पत्रावरण ।

Notice Upload 24-2-18

सिविल विभाग

SAR 13/16-17

बंधन लोहरा — नारायण सिंह

कोलेबीरा

CNTI/SAR

	आदेश या कार्यवाही	जिस तारीख को ...	... संख्या	... पृष्ठ	...	अभ्युक्ति
		20-7-16	15/7/22 16/8/22 16.9.22 23/09/22 11.11.22 9.12.22 24/1/23		16.1.19 20.2.19 22.5.19 10.7.19 14.9.19 16.11.19 5.2.20 4.3.20 6.5.20 10/3/21 2-06-2021 25/08/2021 17/11/2021 13/1/22 4/3/22 12/4/2022 24/6/22	15.3.17 10.4.17 8.5.17 31.5.17 28.6.17 2.8.17 28.8.17 11.X.17 22.11.17 5.1.18 14.2.18 25.4.18 6.6.18 18.7.18 12.9.18 5.12.18

आदेश–पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.......................................से ....तक

जिला सिमडेगा. संख्या SAR 13/2016-17 गन्धन लोहरा

केस का प्रकार.-- बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम

नारायण सिंह

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
20.7.16	श्री......गन्धन लोहरा...... पिता......स्व० फगु लोहरा...... साकिन......डुमरडांड़......थाना.. कोलेबिरा जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी......नारायण सिंह पिता स्व० मोहन सिंह...... साकिन–......डुमरडांड़...... ....थाना.......कोलेबिरा...... जिला--सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं। ग्राम: डुमरडांड़ — खाता सं0--: 1 — प्लॉट सं0: 838 — रकबा: 0.69 ए० में से 0.15 एकड़ उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक......8-8-2016...... को उपस्थापित करें। अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।	3-10.16 26.10.16 23.11.16 21-12-16 18.1.17 15-2-17 15-3-17

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, सिमडेगा।

वाद सं0–एस0ए0आर0 13/2016–17
दिनांक 8.12.22

बंधन लोहरा
बनाम
नारायण सिंह

आदेश

प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक बंधन लोहरा, पिता–स्व0 रूसु लोहरा, साकिन–डुमरडीह, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी नारायण सिंह, पिता–स्व0 लहन सिंह, साकिन–डुमरडीह, थाना–कोलेबिरा, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–13/2016–17 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैः–

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
डुमरडीह	1	838	0.69 एकड़ में से 0.15 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, कोलेबिरा को इस न्यायालय के पत्रांक–291/विधि, दिनांक 20.07.2016 एवं पत्रांक–30/विधि, दिनांक 20.01.2017 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचल अधिकारी, कोलेबिरा के पत्रांक–74ii), दिनांक 09.02.2017 के द्वारा न्यायालय को प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी का प्रश्नगत् भू0खण्ड पर मकान सहन एवं बारी के रूप में कब्जा है। विपक्षी का 0.35 एकड़ भूमि में कब्जा है। स्थानीय पूछताछ के आधार पर लगभग 70 वर्षो से विपक्षी एवं उसके पिता के समय से कब्जा है। स्थानीय पूछताछ से मालूम हुआ कि मकान 45 वर्षो से बना है। मकान 0.03 एकड़ पर अवस्थित है। मकान कच्चा, खपरैला है। खतियानी रैयत जीरात मालिक लगान पाने वाले का नाम महाराज कुमार लाल, गोपेश्वर नाथ साही देव है। खतियानी रैयत से आवेदक का कोई संबंध नहीं है। पंजी–II रैयत अकलू सिंह वल्द रघुवर सिंह है। विवादित जमीन की चौहदीः–

उ0–एलानी सुरीन

द0–सुधु लोहरा

पू0–कोका लोहरा

प0–रास्ता

क्रि0पृ0उ0

CS CamScanner

अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। लेकिन उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–13/2016–17 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
सिमडेगा।

अनुमण्डल दण्डाधिकरी
सिमडेगा।

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR
Date: 2023.01.18 11:54:43 +05:30
Location: 192.168.188.80

CamScanner